न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(88)

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4110-पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 24-11-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 303/अपील/2014-15

श्रीमती डोली जैन पत्नी राजीव जैन
निवासी पनिहार हाल निवासी छत्री बाजार
लश्कर ग्वालियर .....आवेदिका

विरूद्ध

1-प्रमोद अग्रवाल पुत्र मदनलाल
निवासी पाटनकर बाजार लश्कर ग्वालियर
2-जूली अग्रवाल पत्नी मनोज अग्रवाल
निवासी जवाहरगंज डबरा जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री पी0एन0शर्मा, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-11-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक पक्ष द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाकर ग्राम पनिहार स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 62/3 रकबा 1.254 मैं रकबा 0.397 पर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण की मांग की गई । तहसील न्यायालय द्वारा पंजी क्रमांक 7 दिनांक 25-2-2012 के द्वारा मूल विक्रय पत्र प्रस्तुतन करने के कारण आवेदन निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकपक्ष के द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण आवश्यक निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के बाद तहसील न्यायालय द्वारा पुन:कार्यवाही करते हुये दिनांक 11-10-2013 को विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय की इस कार्यवाही के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28-4-15 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश इस आधार पर निरस्त किया गया कि सम्पत्ति का बाजार मूल्य 26,59,330/- रूपये होना चाहिये, किन्तु विक्रय पत्र में 11 लाख में सम्पादित हुआ है अतएव 15,59,330/- रूपये पर प्राप्त होने वाली स्टाम्प ड्यूटी का अपवंचन किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24-11-15 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं होकर स्वयं विधि विरूद्ध विवेक से पारित किया गया है क्योंकि प्रश्नाधीन प्रकरण में विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है कि संहिता धारा 17 भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत संपूर्ण मुद्रांक शुल्क जिन दस्तावेजों पर अदा नहीं किया जाता है तो ऐसे दस्तावेज पढे जाने योग्य नहीं है और ना ही किसी भी न्यायलय में ऐसे दस्तावेजों के आधार पर किसी भी प्रकार का संज्ञान व निराकरण नहीं किया जा सकता है ।

(2) अनावेदकगणों द्वारा विक्रय पत्र पर मुद्रांक शुल्क कम चस्पा किया गया है । यह प्रमाणित तथ्य है इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपना कोई भी मत नहीं दिया है और ऐसे न पढे जाने वाले विक्रय पत्र पर नामान्तरण किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) आवेदिका उक्त विवादित भूमि में सहखातेदार है और अनावेदकगणों के द्वारा भूमि को मुख्य मार्ग से काफी अंदर क्रय किया गया था, लेकिन विक्रय पत्र में गलत तरीके से मुख्य मार्ग पर दर्शाया गया है, लेकिन मुख्य मार्ग पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क अदा नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अनावेदकगणों के द्वारा शासन के राजस्व का तो नुकतान किया ही है तथा

दस्तावेजों की वस्तुस्थिति में भी फेरफार किया गया है तथा ऐसे दस्तावेज स्वत: ही संदिग्ध होकर स्वयं में ही क्रियान्वयन के योग्य नहीं है । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन सभी तथ्यों को विचार में नहीं लेकर आदेश पारित करने में भूल की गई है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि के सारभूत प्रश्नों व सिद्धांतों को पूर्णत: अनदेखा कर शासन को राजस्व की हानि पहुँचाई है तथा अपठित दस्तावेज का क्रियान्वयन करने का आदेश प्रदान किया है, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने तथा मुद्रांक शुल्क की वसूली होने के पश्चात् नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश देने हेतु अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण बहस के दौरान सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही की गई है । आवेदिका का स्वत्व प्रश्नाधीन विक्रीत भूमि पर न होकर उसी सर्वे नम्बर के दूसरे हिस्से पर है । नामान्तरण की कार्यवाही संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त वैध स्वत्वों के आधार पर अधिकार अभिलेख अद्यतन करने की प्रक्रिया है । अनुविभागीय अधिकारी ने तथ्यों पर विचार किये बिना आदेश पारित किया है, जिसे अपर आयुक्त द्वारा विस्तृत आदेश पारित कर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-11-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर